न्यायालय जिला न्यायाधीश, धौलपुर।

कृष्ण कुमार बनाम राज. सरकार

इजराय सं. 07/2001

दिनांक 09.09.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून की ओर से लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक श्री मुकेश सिकरवार उपस्थित। श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी अभियंता खण्ड राजाखेड़ा उपस्थित। डिक्रीदार के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रालवी लम्बे समय से चल रही हे उसमें कुर्की वारण्ट जारी किये जाकर अधिशाषी अभियंता की चल–अचल संपत्ति को कुर्क किया जावे। इसके विपरीत लोक अभियोजक श्री सिकरवार का निवेदन है कि पत्रावली राज्य सरकार में वित्त विभाग में सचिवालय स्तर पर लम्बित है हम शीघ्र ही पक्षकार को राशि देने को तैयार हैं इसलिए हमें न्यायहित में समय दिया जावे।

उभय पक्षों को सुना गया। मेरे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण लक्षित प्रकरणों में से एक है और यह इजराय प्रकरण भी है। ऐसी स्थिति में यह पत्रावली नियमित रूप से सुनवाई हेतु रखी जानी है मद्यून आवश्यक रूप से पैसे जमा कराने के संबंध में शीघ्रातीशीघ्र प्रयास करे और कल आवश्यक रूप से राशि जमा कराये जाने का प्रयास करे।

पत्रावली वास्ते जमा होने राशि दिनांक 10.09.2025 को पेश हो।

09/09/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)